

निदेशक मण्डल The Board of Directors



श्री के. चेरियन वर्गीज़ Shri K. Cherian Varghese



श्री पी. के. गुप्ता Shri P. K. Gupta



श्री प्रदीप कुमार Shri Pradeep Kumar



श्री जी. के. शर्मा Shri G. K. Sharma



श्री वाल्टर लस्रादो Shri Walter Lasrado



श्री डी. एन. प्रकाश Shri D. N. Prakash



श्री रमेश चंदर चाँदीवाला Shri R. C. Chandiwala



श्री वी. के. चान्ना Shri V. K. Chanana



श्री कें. कें. जी. पिल्लै Shri K. K. G. Pillai



श्री दुष्यंत त्यागी Shri Dushyant Tyagi



श्री एस. बी. माथुर Shri S. B. Mathur



श्री एस. रवि Shri S. Ravi



विषय - सूची CONTENTS

अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Statement	2
सूचना Notice	6
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12
प्रवंधन वर्ग का विवेचन एवं विश्लेषण Management Discussion & Analysis	24
क्राप्रिट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	42
वैंक का दस वर्ष का निष्पादन Ten Years' Performance of the Bank	67
तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	68
निष्पादन की विशिष्टताएँ Performance Highlights 2002-03	104
समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account	105
कार्पवेंक होम्स लि. के लेखे Accounts of Corpbank Homes Ltd.	129
कार्पवैंक सिक्युरिटीज लि. के लेखे Accounts of Corpbank Securities Ltd.	150
संवंधित अधिनियमों और विनियमों के उद्धरण Extracts of relevant Acts and Regulations	182
उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	195
ईसीएस अधिदेश ECS Mandate	197
प्रॉक्सी पन्नर्स Proxy Form	199
नामांकन पार्म Nomination Form	201
Fileum Un Declaration Form	203

तेखा-परीक्षक

वैथीश्वरन एण्ड कं. ए. कं. सवत एण्ड कं. डी. सिंह एण्ड कं. सुदित कं. पारेख एण्ड कं. नरसिंह राव एण्ड एसोसिएट्स राव एण्ड कुमार

Auditors

Vaithisvaran & Co.
A. K. Sabat & Co.
D. Singh & Co.
Sudit K. Parekh & Co.
Narasimha Rao & Associates
Rao & Kumar

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लिमिटड 46, एवेन्यू 4 स्ट्रीट नं. 1 वंजारा हिल्स हैदरावाद - 500 034 दूर: 040 - 23312454 23320751

फैक्स: 040-23311968

Registrar & Share Transfer Agent

Karvy Consultants Ltd. 46, Avenue 4 Street No. 1 Banjara Hills Hyderabad - 500 034 Tel: 040 - 23312454 23320751

Fax: 040-23311968

🚇 कार्पोरेशन बैंक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय शेयरधारकों,

आपके वैंक की 6वीं वार्षिक सामान्य वैठक में आपको उपस्थित होने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपके वैंक की वर्ष 2002-03 की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सीभाग्य प्राप्त हुआ है।

- 2. वर्ष 2002-03 प्रतिस्पर्धालक परिवेश के कारण देश में वैंकिंग उद्योग के लिए अनेक चुनौतियों से भरा वर्ष रहा। तथापि जमा लागत में कटौती, निवल व्याज मार्जिन (एन आई एम) के विवेकपूर्ण प्रवंधन एवं प्रभावी ट्रेजरी प्रवंधन ने आपके वैंक को मूल वित्तीय मानदंडों के तहत वर्ष के दौरान अपना निष्पादन सुधारने में सहायता की।
- 3. सकल लाभ 36.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.852.52 करोड़ हो गया। निवल लाभ गत वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.415.99 करोड़ हो गया। समग्र लाभप्रदता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व वैंक के अनुमोदन के अध्यधीन 45% का लाभांश प्रस्तावित किया है।
- 4. वर्ष के दौरान आपके वैंक की निवल मालियत में 15.8% की वृद्धि हुई एवं गत वर्ष के रु.2,046.24 करोड़ के मुकावले यह रु.2,370.20 करोड़ रहा। प्रति शेयर आय एवं प्रति शेयर वही मूल्य गत वर्ष के क्रमशः रु.23.65 एवं रु.142.64 की तुलना में वर्ष के दौरान क्रमशः रु.29.00 व रु.165.23 हो गयी।
- 5. आपके वैंक का कुल कारोवार रु.33,000 करोड़ की उपलब्धि पार करते हुए रु.33,753.74 करोड़ हो गया। आपके वैंक की जमाराशियाँ 14.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए गत वर्ष की तुलना में रु.2,800.30 करोड़ की समग्र वृद्धि के साथ रु.21,724.57 करोड़ रहीं। निवल अग्रिम 9.5% वृद्धि दर्ज करते हुए रु.1041.76 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.12,029.17 करोड़ हो गईं।
- 6. यथा 31 मार्च 2003 को आपके वैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 17.9% से वढ़कर 18.5% हो गया है।
- 7. यथा 31.03.2003 को आपके वैंक की निवल गैर निष्पादक आस्तियां रु.198.39 करोड़ थीं जबिक गत वर्ष की समाप्ति पर ये रु.253.43 करोड़ थीं। वैंक के निवल अग्रिम में गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात यथा 31-03-2003 को 1.65% रहा जबिक 31-03-2002 को यह 2.31% था। इस वार भी वैंक का निवल गैर निष्पादक आस्ति अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नतम में से एक रहा।
- 8. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय वोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके वैंक ने वैंक की दोनों संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों अर्थात कार्प वैंक होम्स



लि. तथा कार्प वैंक सेक्यूरिटीज़ लि. सिहत समूह के वित्तीय विवरण समेकित किये हैं। समेकित परिचालनगत लाभ रु. 900.81 करोड़ रहा तथा वर्ष 2002-03 में निवल लाभ रु. 438.12 करोड़ रहा।

- 9. वैंक की एक आवासीय अनुषंगी कार्प वैंक होम्स लि. ने रु.15 करोड़ की इक्विटी पूंजी पर 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 6.50 करोड़ का निवल लाभ (पीएटी) दर्ज किया है। सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक डीलर, कार्प वैंक सिक्यूरिटीज़ लि. ने रु. 100 करोड़ की इक्विटी पूँजी पर 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 41.48 करोड़ का निवल लाभ (पीएटी) दर्ज किया है।
- 10. दक्षता के विश्वव्यापी मानक प्राप्त करने की दिशा में आपके बैंक ने उत्तम कार्पोरेट अभिशासन की संहिता अपनायी है और यू एस गैप के तहत बैंक के वित्तीय विवरण पुनः प्रकट कर रहा है।
- 11. आपके वैंक ने ग्राहकों को वेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक नवोन्मेषी एवं आवश्यकता आधारित उत्पाद व सेवाएं यथा कार्प एलीट, कार्प प्रीमियम, कार्प रेकर, कार्प पे रोल, कार्प जूनियर/ कार्प सीनियर खाता एवं कार्प ई चेक प्रदान करके चालू वर्ष के दौरान अपनी प्रौद्योगिकी पहल जारी रखी। इन्टरनेट वैंकिंग सुविधा 350 अतिरिक्त शाखाओं के ग्राहकों को विस्तारित की गई जिससे इस सुविधा से युक्त शाखाओं की कुल संख्या 375 हो गई। ये पहलें आपके बैंक को अपनी व्यापकता एवं ग्राहकाधार बढ़ाने में मदद करेंगी।
- 12. आपके वैंक ने वदलती ग्राहक वरीयताओं के अनुरूप एटीएम नेटवर्क हेतु अधिक जोर दिया है एवं वर्ष के दौरान कुल 350 अतिरिक्त एटीएमों को परिचालित किया है एवं नेटवर्क से जोड़ा है जिससे पूरे देश में संचालित एटीएमों की कुल संख्या 475 हो गई है। अब यह संख्या 500 को पार कर गई है।
- 13. आपके वैंक ने वर्ष के दौरान वीसा इंटरनेशनल के सहयोग से **कार्प कन्वीनियन्स** - अंतर्राष्ट्रीय डेविड कार्ड भी प्रारंभ किया है जो सभी कार्प वैंक एटीएमों, भारत



FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure in extending a warm invitation to you to attend the Sixth Annual General Meeting of your Bank. I have the privilege of placing before you the Annual Report of your Bank for the year 2002-03.

- 2. The year 2002-03 continued to be a year with many challenges for the banking industry in the country because of the competitive environment. However, reduction in cost of deposits, prudent management of Net Interest Margin (NIM) and effective treasury management enabled your Bank to improve its performance during the year, under the key financial parameters.
- 3. The Gross Profit improved to Rs.852.52 crore, registering a growth of 36.9%. The Net Profit rose to Rs.415.99 crore, recording an increase of 35% over the previous year. Keeping in view the overall profitability position, the Board of Directors have proposed a dividend of 45%, subject to the approval of Reserve Bank of India.
- 4. The net worth of your Bank increased by 15.8% during the year and stood at Rs.2,370.20 crore, as against Rs.2,046.24 crore during the previous year. The Earnings per Share and Book Value per Share improved to Rs.29.00 and Rs.165.23 respectively during the year, compared to Rs.23.65 and Rs.142.64 respectively during the previous year.
- 5. Your Bank's total business crossed another mile stone mark of Rs.33,000 crore and stood at Rs.33,753.74 crore. The deposits of your Bank recorded a growth of 14.8% and an absolute growth of Rs.2,800.30 crore over the previous year and stood at Rs.21,724.57 crore. The net advances increased by Rs.1,041.76 crore to reach Rs.12,029.17 crore, registering a growth of 9.5%.
- 6. As on 31" March 2003, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of your Bank improved from 17.9% to 18.5%.
- 7. The Net NPA of your Bank as on 31.03.2003 was Rs.198.39 crore compared to Rs.253.43 crore as at the end of the previous year. The ratio of Net NPA to Net Advances of the Bank improved to 1.65% as on 31.03.2003, as against 2.31% as on 31.03.2002. The Net NPA ratio of the Bank continues to be one of the lowest in the public sector.
- 8. In terms of the guidelines of Securities and Exchange Board of India, your Bank has consolidated the financials of the group including the two wholly owned subsidiaries of the Bank viz.,



Corpbank Homes Ltd. and Corpbank Securities Ltd. The consolidated operating profit stood at Rs.900.81 crore and the net profit was Rs.438.12 crore for the year 2002-03.

- 9. Corpbank Homes Ltd., a housing subsidiary of the Bank, recorded a Net Profit (PAT) of Rs.6.50 crore for the year ended 31" March 2003 on equity capital of Rs.15 crore. Corpbank Securities Ltd., a primary dealer in government securities recorded a Net Profit (PAT) of Rs.41.48 crore for the year ended 31" March 2003, on equity capital of Rs.100 crore.
- 10. In the direction of attaining global standards of efficiency, your Bank has adopted the code of good Corporate Governance and has been restating the Bank's Financial Statements under US GAAP.
- 11. Your Bank continued its technology initiatives during the current year by offering several innovative and tailor made products and services such as Corp Elite, Corp Premium, Corp Recur, Corp Payroll, Corp Junior/Senior account and Corp e Cheque, with the objective of delivering value to the customers. The Internet Banking facility was extended to the customers of 350 additional branches, taking the total number of branches with the facility to 375. These initiatives would enable your Bank to extend its reach and expand the clientele base.
- 12. Your Bank has given accelerated thrust for ATM network in tune with the changing customer preferences and has operationalised and networked 350 additional ATMs during the year, taking the total number of ATMs to 475, spread across the country. The number has since crossed the 500 mark.
- 13. Your Bank has also launched Corp Convenience International Debit Card, during the year, in association with VISA International, which facilitates access to all Corp Bank ATMs, 5,500



में वीसा से सम्बद्ध 55,000 अन्य एटीएमों, भारत में 55,000 सदस्य संस्थापनाओं, विश्वव्यापी एक मिलियन एटीएमों तथा विश्व भर में दस मिलियन वीसा सदस्य संस्थानों में अभिगम (एक्सेस) को सुलभ वनाता है।

14. आपके वैंक का सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरा सबसे वड़ा ऑनलाईन एवं इण्टर कनेक्टेड एटीएम नेटवर्क है। इस आधारभूत संरचना पर किए गए निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से आपके वैंक ने ओरिएन्टल वैंक ऑफ कॉमर्स, कर्नाटक वैंक लि., वैंक ऑफ राजस्थान लि., देना वैंक एवं इलहावाद वैंक के साथ एटीएम नेटवर्क की भागीदारी करने हेतु तालमेल व्यवस्था की है।

15. आपका वैंक ग्राहक सुविधा वढ़ाने हेतु प्रोद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग कर रहा है। वैंक ने वर्ष 2002-03 के दौरान इनिफनेट पर वैंकिंग एप्लीकेशन्स के नवोन्मेषी प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (आईडीआरबीटी) से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है।

16. भारतीय जीवन वीमा निगम (एलआईसी) के साथ रणनीतिक गठवंधन के अनुरूप आपके वैंक ने वर्ष के दौरान एलआईसी परिसरों में 63 आउटलेट खोले हैं जिसमें 14 शाखाएँ, 18 विस्तार काऊंटर एवं 31 एटीएम शामिल हैं।

17. आपके वैंक ने भारतीय जीवन वीमा निगम तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. के क्रमशः जीवन वीमा एवं गैर जीवन वीमा उत्पादों के कार्पोरेट एजेन्ट के रूप में कार्य करने हेतु वीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से लाईसेंस प्राप्त किया है। वैंक ने दिसंवर 2002 में जीवन वीमा उत्पादों का विपणन शुरू कर दिया है।

18. आपके बैंक की अन्तर्निहित शक्ति कार्प बैंक परिवार के सदस्यों का उत्साह, समर्पण, उत्कृष्टता हेतु धैर्य एवं उद्य अभिप्रेरणा स्तर है। मैं आपके बैंक के सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों की प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने इस निष्पादन को संभव बनाया।

आपका

म नेश्यित न्यालि

जून 6, 2003

(के. चेरियन वर्गीज़)

Report Junction.com

other VISA affiliated ATMs in India, 55,000 member establishments in India, one million ATMs worldwide and ten million VISA member establishments globally.

- 14. Your Bank has the second largest on-line and interconnected ATM network in the public sector. With a view to optimise the benefits on the investment made on this infrastructure, your Bank entered into tie-ups with Oriental Bank of Commerce, Karnataka Bank Ltd., Bank of Rajasthan Ltd., Dena Bank and Allahabad Bank for sharing the ATM network.
- 15. Your Bank has been putting technology to the best use to enhance customer convenience. The Bank won the Best Bank Award for Innovative use of Banking Applications on INFINET from the Institute for Development and Research in Banking Technology, Hyderabad (IDRBT) during the year 2002-03.
- 16. In terms of strategic alliance with Life Insurance Corporation of India (LIC), your Bank has opened 63 outlets in the premises of LIC during the year, comprising of 14 branches, 18 Extension Counters and 31 ATMs.

- 17. Your Bank secured the licence from the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) to work as a Corporate Agent to Life Insurance Corporation of India and the New India Assurance Co. Ltd. for their life insurance and non-life insurance products, respectively. The Bank started marketing life insurance products in December 2002.
- 18. The inherent strength of your Bank is the zeal, dedication, passion for excellence and high motivation levels of the members of the Corpbank family. I place on record my appreciation for the staff and officers of your Bank at all levels, who made the performance possible.

Yours sincerely,

June 6, 2003

(K. Cherian Varghese)

Report Junction.com



कार्पोरेशन बैंक कार्पोरेट कार्यालय : मंगलादेवी मंदिर मार्ग मंगलुर - 575 001 द.क. जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन वैंक साधारण विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की छठवीं वार्षिक सामान्य वैठक सोमवार, 14 जुलाई, 2003 को अपराहन 2.00 वजे, सहस्राद्धि भवन, कार्पोरेशन वैंक, प्रधान कार्यालय, पांडेश्वर, मंगलूर में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित कारोवार किया जाएगाः

मद सं. 1. वैंक के 31.03.2003 का तुलन-पत्र, 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु वैंक के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए वैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना।

मद सं. 2. वैंक के शेयरधारकों से प्राप्त वैध नामांकनों पर विचार करना तथा श्री ए. राममूर्ती, पूर्व प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी, भारतीय जीवन वीमा निगम के निधन के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राष्ट्रीयकृत वैंकों के खंड 11 वी (प्रवंधन एवं विविध उपवंधों) योजना, 1980, यथापठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, वैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, एवं कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 24 जुलाई 2005 तक के लिए निर्वाचित करना।

स्थान : मंगलूर दिनांक : 06-06-2003

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट

प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को वैठक में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, उसे, अपने स्थान पर वैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन वैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। परन्तु, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को वैठक में वोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कि कार्पोरेशन वैंक का एक कर्मचारी या अधिकारी हो । प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम चार दिन पहले, अर्थात् गुरुवार, 10 जुलाई, 2003 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 वजे से पहले वैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

वैंक के शेयरधारक किसी कंपनी निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति, वैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तव तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, वैठक के अध्यक्ष द्वारा जिस में वैठक वह पारित किया गया हो उसकी प्रमाणित सत्यप्रति, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 10 जुलाई, 2003 को कार्यसमय की समाप्ति, अर्थात् अपराह्न 5.00 वजे से पूर्व मुख्य प्रबंधक, कार्पीरेशन वैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलूर - 575 001 में प्रस्तुत न कर दी जाए ।

उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुवंधित है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक वैठक-स्थान पर सौंप दें । शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्राक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करें ।

शेयरधारक-रजिस्टर को बंद करना

वैंक का शेयरधारक-रजिस्टर और शेयर अंतरण वहियाँ, 6 वीं वार्षिक सामान्य वैठक के सिलसिले में तथा वैंक द्वारा घोषित लाभांश, अगर कोई है, उसे प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ एवं बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चयन हेतु वार्षिक सामान्य वैठक में वोट देने के लिए अर्हक व्यक्तियों के निर्धारण हेत् शुक्रवार, 13 जून, 2003 से वुधवार, 18 जून, 2003 तक (दोनों दिनों सहित) वंद रहेंगी ।

CORPORATION BANK

CORPORATE OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD MANGALORE - 575 001 D. K. DIST., KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank General Regulations, 1998 that the Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Monday, the 14th July 2003 at 2.00 p.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Corporate Office, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, to transact the following business:

Item No. 1. To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2003, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2003, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2. To consider the valid nominations received from the shareholders of the Bank and elect ONE Director representing the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in the vacancy caused by the demise of Shri A. Ramamurthy, former Managing Director & In-charge of Life Insurance Corporation of India, to hold office from the date of assumption of such office till 24th July 2005, in terms of Clause 11B of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, read with the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Corporation Bank General Regulations, 1998.

Place: Mangalore Date: 06-06-2003 (K. Cherian Varghese)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. HOWEVER, THE PROXY SO APPOINTED, WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF CORPORATION BANK. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e., 5.00 p.m. of Thursday, 10th July 2003.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Chief Manager, Corporation Bank, Investor Services

Department, H.O., Mangalore – 575 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Thursday, 10th July 2003.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday the 13th June 2003 to Wednesday the 18th June 2003 (both days inclusive) in connection with the Sixth Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, if any, declared by the Bank and also for the purpose of determining the names of persons who are entitled to vote at the Annual General Meeting for election of a director representing the shareholders of the Bank.



5. लाभांश का भुगतान

वैंक के निदेशक वोर्ड द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई है, का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम 12 जून, 2003 को वैंक के शेयरधारक रजिस्टर/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत हिताधिकारी स्वामियों में मौजूद हैं । ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट, वैंक द्वारा शेयर अंतरण एजेंट, अर्थात् कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लिमिटेड के माध्यम से लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रेषित किए जाएंगे ।

लाभांश वारंट/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) के सम्बंध में बैंक खाते के विवरण - (ईसीएस)

सेवी ने वैंकों सिहत सभी सूचीवद्ध कंपनियों के लिये यह अनिवार्य बनाया है कि वे लाभांश वारंट संवितरित करते समय लाभांश वारंट में शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत वैंक खाता विवरण तथा जहाँ कहीं उपलब्ध हो इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) सुविधा का उपयोग करने हेतु उल्लिखित करें । कुछ केन्द्रों में ईसीएस सुविधा की अनुपस्थिति में तथा कुछ शेयरधारकों द्वारा ऐसी सुविधा का लाभ न उठाने की स्थिति में वैंक, उनके पास लाभांश वारंटों में उपलब्धानुसार वैंक विवरण मुद्रित करेंगे ।

जो शेयरधारक शेयरों को कागज़ी रूप में धारित करते हैं, वे ज़रूरी अद्यतन करने हेतु अपने वैंक अधिदेश विवरण को वैंक के निवेशक सेवा विभाग या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कन्सेलटेन्ट्स लि., हैदरावाद को भेजें। शेयरधारक जो शेयरों को डी-मेट रूप में धारित करते हैं, वे इस संवंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करें। ईसीएस अधिदेश/वैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है।

7. तुलन-पत्र की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर डाक से भेजी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं ।

8. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि वैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन नहीं वितरित किया जाएगा ।

9. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियम, 1998 के विनियम 68(i) में कार्पोरेशन वैंक के शेयरधारकों के मतदान अधिकार उल्लिखित किये गये हैं । प्रत्येक शेयरधारक जो 6 वीं वार्षिक सामान्य वैठक की तारीख से पहले, रजिस्टर के वंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, को हाथ उठाकर एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा ।

वैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, वैंक का कोई भी शेयरधारक, उसके द्वारा धारित शेयर, शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक होनेपर शेयरधारक सभी अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के सम्वन्ध में वोट देने हेतु पात्र नहीं होगा।

सूचना के मद सं. 2 में उल्लिखित कारोवार के संवंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करने सम्बन्धी व्यख्यात्मक विवरण संलग्न है।

व्याख्यात्मक कथन

24 जुलाई 2002 को आयोजित बैंक की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के तहत प्रावधानों के अनुसार, अपने वीच से 6 निदेशकों को निर्वाचित किया था। इस प्रकार शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों की पदाविध पदग्रहण से 3 वर्ष, अर्थात 25-7-2002 से 24-7-2005 तक थी।

24 जुलाई 2002 को आयोजित 5वीं वार्षिक सामान्य वैठक में निर्वाचित एक निदेशक श्री ए. राममूर्ती, पूर्व प्रवंध निदेशक एवं प्रभारी, भारतीय जीवन वीमा निगम के आकस्मिक निधन के कारण एक रिक्ति उत्पन्न हुई है । अतएव केन्द्रीय सरकार को छोड़कर शेयरधारकों द्वारा अपने में से एक नया निदेशक निर्वाचित किया जाना है।

राष्ट्रीयकृत वैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 11 वी के अनुसार किसी निर्वाचित निदेशक की पदावधि के पूर्व यदि कोई रिक्ति होती है, यह रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी। परन्तु जहां रिक्ति की अवधि 6 माह से कम है वहां यह रिक्ति शेष निदेशकों में से भरी जाए साथ ही उपरोक्तानुसार निर्वाचित अथवा सहयोजित व्यक्ति अपने पद पूर्ववर्ती पदस्थ

पदधारी की असमाप्त अवधि के लिए पदभार संभालेगा।

चूँकि स्वर्गीय श्री राममूर्ति के कार्यकाल अवधि 6 माह से अधिक है, अतएव शेयरधारकों में से एक व्यक्ति का श्री ए राममूर्ती के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए अर्थात 24 जुलाई, 2005 तक के लिए एक निदेशक के रूप में चयन किया जाना है।

कार्पोरेशन वैंक सामान्य विनियमन 1998 के विनियम 63 के अनुसार "बैंक की सामान्य वैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाएगा।"

तदनुसार, एक निदेशक के निर्वाचन का कार्य बैंक की छवीं वार्षिक सामान्य वैठक आयोजित करने हेतु सूचना का एक अंश है।

शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति :

i) नामांकन फार्मों की प्रस्तुति

श्री ए. राममूर्ति, पूर्व प्रवंध निदेशक एवं प्रभारी, भारतीय जीवन वीमा निगम के निधन के कारण उत्पन्न रिक्ति निदेशक के पद निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक